न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

निष्कासन वाद सं0–91/2011

CIS NO. EVI. 03/2018

विनोद कुमार मिश्र.....वादी

बनाम

शिवरतन राउत.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
28.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर आवेदन दिनांक 05.09.2019 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 28.01.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी ने वाद लंबन के दौरान बिना न्यायालय को सुचना दिये अंचल अमलेगान को अपने मेल में लेकर बिना किसी हक हकुक के पी0पी0 सह लगान निधारण वास्ते अभिज्ञलेख सं0–10/2018–19 कायम कराते हुए बासगीत पर्चा देने की स्वीकृति दी गई साथ ही अभिलेख लगान निर्धारण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता नरकटियागंज को भेजा गया। इस बात की जानकारी वादी को होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता नरकटियागंज के न्यायालय में अपना आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता वाद में पक्षकार बनने वास्ते दाखिल किया गया परंतु भूमि सुधार उप समाहर्ता उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। मूल रूप से प्रश्नगत भूमि सरकार की है जिस पर प्रतिवादी के पूर्वज निवास करते चले आ रहे है। प्रतिवादी अत्यंत गरीब एवं असहाय व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि खतियान में सरकारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादी का स्थापित दखल कब्जा उपर से एराजी तकरारी पर देख रेख कर अंचलाधिकारी सह समाहर्ता विशेष रैयती वाद भूमि पर्चा निर्गत कर दिया गया है। पर्चा केस न0–10/2018–19 दिनांक 19.06.2018 अंचलाधिकारी सह समाहर्ता द्वारा निर्गत है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश 06	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>निष्कासन वाद सं0–91/2011</u>

<u>CIS NO. EVI. 03/2018</u>

विनोद कुमार मिश्र.....वादी

बनाम

शिवरतन राउत.....प्रतिवादी

लगातार 28.01.2025	नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 05.09.2019 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा संशोधन उपरांत सिरिस्तेदार अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद दिनांक 25.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	